राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 13/2025 अपील

रामदेव पिता छग्गु गुर्जर निवासी ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा बनाम राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार ज्ञानगढ तह–करेडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरूद्ध नायब तहसीलदार ज्ञानगढ
बप्रकरण संख्या 1/2021 निर्णय दिनांक 30/06/2021

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय पेरोकार, प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 04/05/2026

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अनुसार पटवार हल्का ज्ञानगढ ने ना0तह0 ज्ञानगढ के यहां एक मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश की अपीलाण्ट ने ज्ञानगढ की आ0स0 1806 रकबा 11.8370 हैक्टे० किस्म चारागाह में से 50बाई25फिट कुल 1250 वर्गफीट का पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने 28.06.21 को प्रकरण दर्ज कर जरिए सम्मन 30.06.2021 नियत की गई। जो विपक्षी को प्राप्त नहीं हुए। किसी सुवालाल नामक व्यक्ति ने सम्मन प्राप्त किया। विधिवत तामील नहीं हुई। विपक्षी से रिश्ता अंकन नहीं रहा। 30.6.21 को सुवालाल उप0 हो गया एवं आदेशिका में हस्ता0 करवाकर उसी दिन आलौच्य निर्णय पारित कर दिया गया। अवैध रूप से बिना सुने निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। विपक्षी को जानकारी होती तो व साक्ष्य जवाब प्रस्तुत करता किन्तु विपक्षी को अवसर नही दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाया जाना बताया गया है वह भूमि आबादी भूमि से सटी हुई है, एवं अपीलाण्ट के अलावा भी अन्य काफी लोगों के मकान या भूखण्ड नहीं है। अपीलाण्ट व अन्य लोगों ने लाखों रूपयों की लागत लगाकर पक्के मकान बनाकर रहवास कर रखा है। इस प्रकार बिना जांच किए अधीनस्थ न्यायलय द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया

4.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गया जो निरस्तनीय है। विवादग्रस्त भूमि यदि चारागाह में भी हो तो भी यह भूमि आबादी से सटमा होकर ज्ञानगढ से लगी होकर बोर का बाडिया नाम आबादी बसी होकर काफी परिवार मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। इसलिए इस भूभाग को आबादी हेतु आवासीय भूमि के रूप में सेट–अपार्ट करने हेतु भी अलग से कार्यवाही करवा रहे हैं, यदि अपीलाण्ट के मकान को अतिक्रमण मानकर ध्वस्त कर दिया जाता है तो अपीलाण्ट को लाखों रूपयों का नुकसान हो जाएगा व अपीलाण्ट बेघर हो जाएगा। जिससे अपीलाण्ट व उसके परिजन का काफी परेशानी उत्पन्न जो जाएगी। इस परिस्थिति को देखते हुए निवेदन है कि अपीलाण्ट का जहां मकान बना हुआ है उस जगह को आबादी में संपरिवर्तित करवाए जाने का निर्देश/आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिलाया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किए गए। प्रकरण में दस्तावेजों का आघोपान्त अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त मनन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विवेचन उपरान्त पाया गया कि अपीलाण्ट ने अपने पक्ष के संदर्भ में दौराने अधीनस्थ न्यायालय सुनवाई एवं इस अपीलाण्ट न्यायालय सुनवाई बाबत् आदिनांक तक कोई ठोस दस्तावेज प्रति/जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके विपरीत अपीलाण्ट ने चारागाह भूमि पर नाजायाज पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलाण्ट की अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार योग्य ठहरती है, अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 अपील आधारहीन व सारहीन होने से **अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ज्ञानगढ तह–करेडा का प्रश्नगत निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार ज्ञानगढ को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.5.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा